फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

...देवी बनाम जेठाराम वगैरा

...मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 169/18 / 18............सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
05.06.18	प्रार्थीनी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीनी वकील को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थीनी के अनुसार प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की पैतृक खातेदारी की कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि मौजा धतरवालों का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 436/23 रकबा 21.12 बीघा में आई हुई है। विप्रार्थीगण प्रार्थीनी के कब्जा काश्त की भूमि का बैचान करने व कच्चा–पक्का निर्माण पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 18.07.2018 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विप्रार्थीगण विवादित आराजी मौजा धतरवालों का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 436/23 रकबा 21.12 बीघा भूमि का बैचान, रहन आदि नहीं करें तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण आदि नहीं करें एवं मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 18.07.2018 को पेश हों। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
18/7/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तवा होकर दिनांक 23/10/18 को पेश हों।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:06:04 IST
Reason: SelfAttested

23/10/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 7/1/19 का पेश हों।	
7/1/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त इन्तजार होकर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 5/3/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
5/3/19	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनाक 8/5/19 को पेश हो।	
8/5/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 29/7/19 का पेश हों।	
29/7/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 23/9/19 का पेश हों।	
23/9/19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त, प्रार्थी वकील नोटिस पुनः पेश करने को पेश होने पर जारी होकर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 5/11/2019 को पेश हो तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek V
Date: 2020.12.18 17:06:04
Reason: SelfAttested

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
न्या० प्रकरण सं.- 169/18 मनवान- मेहरो देवी v/s जेठाराम कोरा	

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 20/1/2020 को पेश हों।

20/1/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 19/2/2020 को पेश हों।

19/02/2020

प्रार्थी का मूल वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज हो चुका है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थी का उक्त आवेदन इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, मूल वाद के संलग्न रहे।

2020

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 17:06:04 IST
Reason: SelfAttested